B-III
L-38
Society

भारत में परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नीति

जनसंख्या नीति :-

किसी देश की जनसंख्या को उस देश में उपलब्ध संसाधनों के साथ, अनुकूलित करने की नीति जनसंख्या नीति कहलाती है।

- भारत में यद्यपि जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था तथापि 1976 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई जिसके तहत कई तरीके से तीव्र जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास किया गया।

पुनः 2000 में नई जनसंख्या नीति बनाई गयी और इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य लक्षण :-

इस नीति के उद्देश्यों को तीन भागों में रखा गया -

1. लघुकालिक उद्देश्य - गर्भ-निरोधक साधनों का प्रचार, स्वास्थ्य अधोसंरचना का विकास, जननी स्वास्थ्य पर बल देना।
2. मध्य कालिक उद्देश्य - 2010 तक कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.1 तक कम करना।

3. दीर्घकालिक उद्देश्य - 2045 तक जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य -

इस लक्ष्य के सन्दर्भ में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर बनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना संभव नहीं है।

(फलत: इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है)

उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 14 राष्ट्रीय सामाजिक - जनसांख्यिकीय लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसकी प्राप्ति हेतु कई रूपों में प्रयास किया जा रहा है जैसे-

- छोटे परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिला परिषद और ग्राम पंचायत को इस दिशा में पुरस्कृत करना, दो बच्चों तक लड़की के लिए तथा 19 वर्ष के बाद प्रथम संतान पैदा करने के लिए पुरस्कृत करना।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कठोरता से लागू करना।
- 2026 तक लोकसभा की सदस्य संख्या नहीं बढ़ाना।
- मई 2000 में नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी एवं समीक्षा हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन करना।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• इस नीति के क्रियान्वयन में वित्तीय सहयोग हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना करना- (फलतः 2004 में स्थापित)

भारत में परिवार नियोजन :

परिवार नियोजन नीति के तहत चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है।

परिवार नियोजन -

भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य- गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार प्रसार करके परिवार के आकार को सीमित करना और देश में अनुकूलतम जनसंख्या को बनाए रखना।

• इस कार्यक्रम की शुरूआत 1952 में की गई और 1976 में इसका नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया और इसके तहत जनसंख्या नियंत्रण हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं जिन्हे निम्न बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है —

परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत किए जा रहे प्रयास-
आज क्या किया जा रहा है इस नीति के तहत-
• दो बच्चों तक लड़की के लिए पुरस्कृत करना।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Trusted Learning Platform KHAN SIR

- परिवार नियोजन का प्रचार-प्रसार।
- प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को जोड़ना।
- विभिन्न NGO, SHGs पंचायत आदि के साथ संबंध स्थापित करके इस दिशा में प्रयास।
- परिवार नियोजन हेतु कई स्तरों पर प्रशिक्षण और कई लाख लोगों को इस संदर्भ में पत्र-पत्रिकाओं का वितरण।
- स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना और स्वास्थ्य संबंधी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
- विभिन्न राज्यों में 22 अनुसंधान केन्द्रो की स्थापना और इन केन्द्रों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु नवीन अनुसंधान जारी।

⇓

भारत की जनसंख्या नीति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम — मूल्यांकन

(7)

निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास के रूप में जनसंख्या नीति 2000 और इसके तहत संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में प्रयास काफी सफल रहें हैं जैसे- जन्मदर में कमी, जनसंख्या संवृद्धि दर में कमी, मृत्युदर में कमी, मातृत्व मृत्युदर में कमी, शिशु मृत्युदर में कमी

KGS IAS GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

आदि संभव हुआ है तथा लगभग 50 लाख ऑपरेशन, 130 लाख गर्भ समापन आदि के द्वारा लगभग 32 करोड़ जन्म को रोका गया है।

(b) फिर भी हम अपने अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं जैसे- अभी भी जन्मदर अधिक है; जनसंख्या संवृद्धि दर अधिक; मातृत्व मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर अधिक; 2027 तक जनसंख्या 144 करोड़ होने का अनुमान; 2010 तक प्रजनन दर 2.1 का लक्ष्य असफल; 2045 तक जनसंख्या स्थिर रखने का लक्ष्य असफल आदि।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS
Trusted Learning Platform
KHAN SIR

जनसंख्या नीति और परिवार कल्याण को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का कारण/चुनौतियां :-

- आधुनिकीकरण के बावजूद पुत्रप्राप्ति की प्रबल इच्छा आज भी विद्यमान है जो उच्च जन्म दर का भी करण है। (शिशु लिंगानुपात घटकर 927 से 919)
- शिक्षा के स्तर में सुधार परन्तु यह सुधार परिमाणात्मक ज्यादा और गुणात्मक कम- फलतः जागरूकता का अभाव और प्रतिकूल सोच आज भी विद्यमान, रूढ़िवादी सोच आज भी विराजमान; (आज भी 25% गर्भ अनचाहा)

• **अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण :-**

महिला सशक्तिकरण के बावजूद महिलाओं की स्थिति निम्न और प्रजनन संबंधी निर्णय पर पुरुषों का अधिकार कायम।

• बाल विवाह निरोधक कानून के बावजूद आज भी 27% विवाह कम आयु में होते हैं (UNICEF)

• आज भी प्रचार-प्रसार की अपर्याप्तता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव (आज भी 58% प्रसव घर में; 212 प्रति लाख जन्म मातृत्व मृत्युदर; ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रति हजार शिशु मृत्यु दर)

• नरम राज्य, प्रशासनिक एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल कर्मचारियों में प्रशिक्षण का अभाव, भ्रष्टाचार आदि।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

भारत में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सुझाव :

• नीति एवं कार्यक्रमों का निर्माण, क्षेत्र एवं समुदाय विशेष की आवश्यकताओं एवं सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

• अवसंरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि की जाए और संबंधित लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए।

- परिवार नियोजन के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाए।
- केरल मॉडल के साथ चीनी मॉडल का भी प्रयोग किया जाए।
- लिंग समानता की स्थापना और पुत्र-पुत्री को समान महत्व दिया जाए।
- विवाह की आयु में वृद्धि, बाल विवाह निरोधक कानून का शक्ती से क्रियान्वयन और इस हेतु स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक जनआंदोलन का रूप दिया जाए और इस दिशा में मीडिया NGO, SHG, युवाओं तथा ग्रामपंचायत का सहयोग लिया जाए।
- जनसंख्या वृद्धि को एक समस्या न मानकर इसे मानव संसाधन के रूप में विकसित करके विकास में सहायक बनाया जाए।

संभावित प्रश्न –

प्रश्न-1 भारत में जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान रही है। इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए और इस दिशा में उपयुक्त उपाय सुझाइए?

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

प्रश्न- भारत की जनसंख्या नीति और परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए?

प्रश्न- आज जनसंख्या को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि संसाधन की तरह देखा जा रहा है। इस सन्दर्भ में परिवार नियोजन कार्यक्रम के औचित्य का परीक्षण कीजिए?

प्रश्न- समकालीन भारत में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति पर प्रकाश डालिए! और नई जनसंख्या नीति के निर्माण की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए?

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

भारत में विवाह की आयु

- भारत में विवाह की आयु का स्वरूप
- भारत में कम आयु में विवाह के दुष्परिणाम
- भारत में कम आयु में विवाह के कारण
- भारत के विशेष सन्दर्भ में सुझाव

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- विवाह की आयु जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख निर्धारक कारण होती है।
- भारत में बाल विवाह / कम आयु में विवाह एक ऐतिहासिक घटना रही है।
- यद्यपि कई तरीके से विवाह की आयु को बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है, इसके बावजूद आज भी 27% विवाह निर्धारित आयु से कम में होते हैं। (यूनिसेफ की रिपोर्ट - 2018)

भारत में कम आयु में विवाह के कारण

1- धार्मिक मान्यताएँ

2- विवाह संबंधी निषेध

3. पितृसत्तात्मकता

4. स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिकनिर्भरता

5. दहेज प्रथा

6. अशिक्षा एवं जागरूकता का अभाव

भारत में कम आयु में विवाह के दुष्परिणाम

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

1. बाल विवाह

2. कम उम्र में बच्चा होना

3. पितृसत्तात्मकता के कारण बाल विवाह

4. बेमेल विवाह - जैसे- लड़की बड़ी लड़का छोटा

जनांकिकीए दुष्परिणाम

1. जन्मदर में वृद्धि फलतः जनसंख्या में वृद्धि

2. शिशु मृत्युदर में वृद्धि

शहर में 44/1000 तथा गाँव में 80/1000)

3. मातृत्व मृत्युदर में वृद्धि
(212 / लाख जन्म पर)

4. लिंगानुपात में कमी
943 – 2011

5. आश्रित जनसंख्या में वृद्धि - 37.5 %
(0-14 वर्ष – 29.5 % और 60 वर्ष के ऊपर 8 %)

सामाजिक सांस्कृतिक दुष्परिणाम

1. व्यक्तित्व का विकास बाधित।
2. बेमेल विवाह सम्भव।
3. नए परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समस्या।
4. युगल द्वारा अपरिपक्व निर्णय की संभावना अधिक।
5. आर्थिक विकास दुष्प्रभावित।
6. स्त्रियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव।

भारत में विवाह की आयु में वृद्धि हेतु सुझाव

• शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

• आर्थिक विकास द्वारा बेरोजगारी का उन्मूलन हो।

• महिला सशक्तिकरण द्वारा लिंग समानता की स्थापना हो।

• अधिक आयु में विवाह के पक्ष में जनमत का निर्माण हो - मीडिया, NGO, ग्राम पंचायत, युवाओं के सहयोग से।

• बाल विवाह निषेध कानून को कठोरता से लागू किया जाए।
(इस कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी जाए)

• अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए।

भारत में विवाह की आयु में वृद्धि की समस्या / दुष्परिणाम

1. प्रजनन में कठिनाई
2. पति-पत्नी संबंधों में तनाव
3. अनैतिक यौनाचार में वृद्धि
4. यौन संबंधी नैतिकता में परिवर्तन
5. लिव-इन-रिलेशनशिप जैसी नवीन प्रवृत्तियों का विकास।
6. सरोगेसी को बढ़ावा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

भारत में विवाह की आयु में वृद्धि के कारण

1. शिक्षा का प्रसार और शिक्षा प्राप्ति की इच्छा में वृद्धि।
2. आत्मनिर्भरता और रोजगार के महत्व में वृद्धि।
3. लिंग असमानता में कमी और स्त्रियों की स्थिति में सुधार से इनमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता में वृद्धि।
4. जीवन साथी के चुनाव में लड़के-लड़कियों की इच्छा का महत्व।
5. संयुक्त परिवार का विघटन।
6. बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा।

KCS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR